UPMB010001522024

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) महोबा।</u>
सत्र वाद संख्या– 39/2024
सरकार बनाम पुष्पेन्द्र आदि
मु0अ0सं0–296/2023
धारा– 498ए,304बी भा0 द0 सं0 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना कबरई, जिला महोबा।

<u>दिनांक–19.03.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण फूलारानी व आशारानी उपस्थित। अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुशवाहा की हाजिरी माफी द्वारा अधिवक्ता प्रस्तुत की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त मूलचन्द्र कुशवाहा पुत्र बब्बू निवासी मुहल्ला किदवई नगर थाना कबरई जिला महोबा के संबंध में मृत्यु से संबंधित आख्या थाने से आहूत की गयी थी। संबंधित थाने द्वारा अभियुक्त मूलचन्द्र कुशवाहा पुत्र बब्बू की मृत्यु सम्बन्ध में गिरफ्तारी का अधिपत्र पर थाना कबरई की रिपोर्ट कागज संख्या 15क, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र कागज संख्या 16क थाना कबरई द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। साथ ही उक्त कागज प्रस्तुत करने वाले गवाह उपनिरीक्षक प्रशान्त दीक्षित का बयान अंकित कराया गया है जो पत्रावली में कागज संख्या 17क दाखिल है। जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त मूलचन्द्र कुशवाहा पुत्र बब्बू निवासी मुहल्ला किदवई नगर थाना कबरई जिला महोबा की मृत्यु दिनांक 03.06.2024 को हो चुकी है।

चूँकि उक्त प्रपत्रों से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त मूलचन्द्र कुशवाहा पुत्र बब्बू निवासी मुहल्ला किदवई नगर थाना कबरई जिला महोबा की मृत्यु हो चुकी है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त अभियुक्त **मूलचन्द्र कुशवाहा पुत्र बब्बू** निवासी मुहल्ला किदवई नगर थाना कबरई जिला महोबा के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित (अवेट) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **मूलचन्द्र कुशवाहा पुत्र बब्बू** निवासी मुहल्ला किदवई नगर थाना कबरई जिला महोबा के विरूद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उपशमित (अवेट) की जाती है। शेष अभियुक्तगण फूलारानी, आशारानी व पुष्पेन्द्र कुशवाहा के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हो।

<u>दिनांक–19.03.2025</u>

(श्रीमती सर्वोत्तमा नागेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0),
महोबा। U.P.-1866

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2025.03.19 15:15:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court